पत्र–सख्या–जी0एस0टी0 / 2017–18 / 1564 / 1718098 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 22 मार्च,2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय– जी0एस0टी0एन0 के पोर्टल पर ऑनलाइन रिफण्ड मॉड्यूल उपलब्ध हो जाने तक मैनुअल रिफण्ड की प्रक्रिया के संबंध में जारी शासनादेश संख्या–क0नि0–4–219 / 11–2018 / 300(5) / 18 दिनांक 23.02.2018 के अनुक्रम में जारी शुद्धि–पत्र के संबंध में।

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–जी0एस0टी0 / 2017–18 / 1449 / वाणिज्य कर दिनांक 23.02.2018 द्वारा जीरोरेटेड सप्लाई के साथ–साथ इन्वर्टेट ड्यूटी स्ट्रक्चर डीम्ड निर्यात तथा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अतिरिक्त आई0टी0सी0 होने पर रिफण्ड क्लेम करने हेतु मैनुअल प्रार्थना–पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया एवं उसके निस्तारण के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे तथा उक्त पत्र के साथ शासनादेश संख्या–क0नि0–4–219 / 11–2018 / 300(5) / 18 दिनांक 23.02.2018 की प्रति संलग्न कर तदनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

शासनादेश संख्या– क0नि0–4–282 / 11–2018 / 300(5) / 18 दिनांक 21.03.2018 द्वारा शासन ने पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–4–219 / 11–2018 / 300(5) / 18 दिनांक 23.02.2018 का शुद्धि–पत्र जारी किया गया है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि अपने जोन के अन्तर्गत सभी जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी को इस **"शुद्धि–पत्र"** की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इस शुद्धि–पत्र के आदेशों से अवगत कराते हुये कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार–(शुद्धि–पत्र)।

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0 प0सं0 / दिनांक उक्त

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
2. निदेशक, कोषागार, उ0 प्र0, लखनऊ को आदेश की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे भी अपने स्तर से सभी जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी को इस शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश शासन
कर एवं निबंधन अनुभाग–4
संख्या–क0नि0–4–282 / 11–2018–300(5) / 18
लखनऊ::दिनांक 21 मार्च, 2018

<u>शुद्धि–पत्र</u>

वाणिज्य कर विभाग में जी.एस.टी.एन.के पोर्टल पर ऑन लाइन रिफण्ड माड्यूल उपलब्ध हो जाने तक मैनुअल रिफण्ड की प्रकिया निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या–क0नि0–4–219 / 11–2018–300(5) / 2018, दिनॉक–23.02.2018 निर्गत किया गया है। उक्त संदर्भित आदेश में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित संशोधन किया जा रहा है :–

" प्रस्तर–1 में चेक के माध्यम से भुगतान के दिये गये निर्देशों में **'वापसी की धनराशि ई–पेमेण्ट के माध्यम से खातों में जमा की जायेगी'** और प्रस्तर–2 में एस.जी.एस.टी. से प्राप्त धनराशि को लेखाशीर्षक 0006 के अन्तर्गत विभिन्न उप लेखाशीर्षकों में जमा किया जाता है एवं उपलेखाशीर्ष के अनुसार, **"कर (101)का रिफण्ड लेखाशीर्षक 0006–00–101–02(01–11) से, ब्याज (102) का रिफण्ड शीर्षक 0006–00–102–02से, शास्ति (103) का रिफण्ड 0006–00–103–02 तथा शुल्क (104) का रिफण्ड 0006–00–104–02 से किया जायेगा।** "

2– उक्त शासनादेश दिनॉक–23.02.2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0संख्या–एफ0ए0–1–57 / दस–2018, दिनॉक–21मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

मो0 मारूफ
विशेष सचिव।

<u>सं0–क0नि0–4–282 (1) / 11–2018 तद्दिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय,इलाहबाद।
2–कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3–समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,उ0प्र0 द्वारा कमिश्नर वाणिज्य कर।
4–एडिशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5–वित्त (लेखा) अनुभाग–1
6–गार्ड बुक।

एडी० कमि० (GST)
एडी०कमि० (लेखा)

आज्ञा से,
(मो0 मारूफ)
विशेष सचिव।

JC (GST)
6352
22-3-18
SSO-I
21.03.2018
SS GST
22-03-18
22.03.18
D.C (GST)
22/03/18
J.C (GST)